

## लोकपाल की नयुक्तापर सरकार का रुख 'पूर्णतः असंतोषजनक'

### चर्चा में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आम आदमी को सार्वजनिक सेवाओं और बजिली केंद्रों में व्याप्त भ्रष्टाचार से बचाने के लिये लोकपाल की नयुक्ता करने में सरकार का रुख पूरी तरह असंतोषजनक है। अदालत, सरकार द्वारा दायर एक हलफनामे पर प्रतिक्रिया दे रही थी, जिसका लक्ष्य लोकपाल की नयुक्ता के लिये सटीक समय सीमा को निर्दिष्ट करना है। सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने कहा कि यह एक जटिल प्रक्रिया है।

### महत्वपूर्ण बिंदु

- न्यायमूर्तरंजन गोगोई, न्यायमूर्तर आर. बानुमता और न्यायमूर्तर निवीन सनिहा की बेंच ने केंद्र की उन दलीलों को मानने से इनकार कर दिया जिसमें कहा गया था कि 19 जुलाई को प्रधानमंत्री की उच्च स्तरीय चयन समिति की बैठक हुई जिसमें मुख्य न्यायाधीश दीपक मशिरा, लोकसभा स्पीकर सुमतिरा महाजन और भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने हसिसा लिया जबकि विशेष रूप से आमंत्रित मल्लिकार्जुन खडगे ने भाग लेने से इनकार कर दिया।
- वहीं, केंद्र की ओर से पक्ष रख रहे अटॉर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल ने कहा कि सर्च पैनल के लिये जल्द ही फरि से बैठक आयोजित की जाएगी।
- पीठ ने कहा, केंद्र ने यह नहीं बताया कि लोकपाल की नयुक्ता कब तक होगी, इसलिये चार हफ्ते में नया हलफनामा दाखल किया जाए।
- वहीं, याचिकाकर्ता की ओर से वरषिठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि कानून को बने साढ़े चार का समय साल बीत चुका है। इसे लेकर केंद्र सरकार गंभीर नहीं है। अब या तो अदालत अवमानना की कार्रवाई करे या फरि संवधान के अनुच्छेद 142 के तहत अधिकार का प्रयोग कर लोकपाल की नयुक्ता करे।
- 17 जुलाई को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 19 जुलाई को प्रधानमंत्री की उच्च स्तरीय चयन समिति की बैठक होगी और सर्च कमेटी बनाई जाएगी जो लोकपाल के नाम पर सुझाव देगी।
- इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उम्मीद है कि बैठक में लोकपाल के नाम को अंतिम रूप दिया जाएगा। केंद्र सरकार को 23 जुलाई को रिपोर्ट दाखल करने के आदेश दिया गया था।
- 2 जुलाई को लोकपाल की नयुक्ता को लेकर दाखल याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि दस दिनों के भीतर कोर्ट को बताए कि लोकपाल की नयुक्ता में कतिना समय लगेगा।

### सर्च पैनल को अंतिम रूप देने में लगेगा समय

- के.के. वेणुगोपाल ने कहा कि एक सर्च कमेटी को अंतिम रूप देने में समय लगेगा। इसके अलावा, नयुक्ता प्रक्रिया समावेशी होनी चाहिये। लोकपाल के लिये उम्मीदवारों की पूरी तरह से जाँच करना ज़रूरी है।
- अदालत ने पछिले कई महीनों से लगातार लोकपाल की नयुक्ता को पूरा करने के लिये सरकार से आग्रह किया है।
- हालाँकि 2014 में पारित लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 को इन सभी वर्षों में लागू नहीं किया जा सका है क्योंकि 16वीं लोकसभा में वपिकष का नेता नहीं था। 2013 के इस कानून में चयन समिति के सदस्य के रूप में वपिकष के नेता को शामिल किया गया है।
- अधिनियम के प्रावधान के मुताबिक प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और स्पीकर के साथ वपिकष का नेता भी चयन समिति का हसिसा है।
- हालाँकि, पछिले साल 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में स्पष्ट किया था कि लोकपाल नयुक्ता प्रक्रिया को केवल वपिकष के नेता की अनुपस्थिति के कारण रोकना नहीं चाहिये।